

उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम, 1976

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1976}

THE UTTAR PRADESH MILK ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 7 OF 1976]

उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम, 1976¹

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1976}

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 8 अप्रैल, 1976 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 6 अप्रैल, 1976 की बैठक में स्वीकृत किया।}

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 17 अप्रैल, 1976 को प्रकाशित हुआ।}

राज्य में दुग्धशाला उद्योग का विकास करने की दृष्टि से दूध के उत्पादन, सम्भरण और वितरण और उसे दुग्ध उत्पाद में परिवर्तित करने का विनियमन और नियंत्रण करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय—1

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम, 1976 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक² से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, और उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए, भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

2— इस अधिनियम में :-

परिभाषाएं

(क) “प्राधिकृत व्यक्ति” और “प्राधिकृत एजेंसी” का तात्पर्य क्रमशः ऐसे व्यक्ति और ऐसी एजेंसी से है, जिसे परिषद् इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिये अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे;

(ख) “परिषद्” का तात्पर्य धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा गठित, उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् से है;

(ग) “दुग्धशाला” का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है, जहां पर दूध को ठंडा करने, गर्म करने या कोई अन्य उपचार करने के लिए या दूध को दुग्ध उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए या दूध या दुग्ध उत्पाद को पैक करने के लिए मशीन का उपयोग किया जाय;

(घ) “निधि” का तात्पर्य धारा 9 के अधीन सृजित उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास निधि से है;

(ङ) “लाइसेंस” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्गत लाइसेंस से है;

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट दिनांक 8 अप्रैल, 1976 देखिये।
2. विज्ञप्ति सं० 1494 (सी) (3)/ सी० वी०-8-73, दिनांक 11 मई, 1973 के द्वारा राज्यपाल एतद्द्वारा 11 मई, 1976 को ऐसा दिनांक नियुक्ति करते हैं, जब से इस अधिनियम के उपलब्ध, धारा 11, 12, 13, 14, 16 और 17 करो छोड़कर प्रवृत्त होंगे।
- 3.

विज्ञप्ति सं० 646, बाहर-ई-4-8-73, दिनांक 10 अगस्त, 1976 द्वारा उपर्युक्त विज्ञप्ति के क्रम में

राज्यपाल एतद्वारा 15 अगस्त, 1976 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं, जब से उक्त अधिनियम की धारा 11, 12, 13, 14, 16, और 17 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

{उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम, 1976}

{धारा

3-4}

(च) “लाइसेंस प्राधिकारी” का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी से है ;

(छ) “निर्माता” का तात्पर्य दुग्ध उत्पाद का निर्माण या दुग्ध सान्द्र वस्तुओं को तैयार करने में व्यस्त व्यक्ति या प्रतिष्ठान से है;

(ज) “विधाकार” का तात्पर्य तरल दूध के संग्रह या उपचार में, जैसे ठंडा करने या गर्म करने या दूध की पण्य अवधि में वृद्धि करने के लिये किसी अन्य उपचार में व्यस्त किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान से है;

(झ) “दूध” का तात्पर्य गाय या भैंस के स्तन्य स्राव से है;

(ञ) “दूध” का तात्पर्य धारा 7 के अधीन नियुक्त दुग्ध आयुक्त से है;

(ट) “दुग्ध उत्पाद” का तात्पर्य दूध, स्फ्रेटा, मट्ठा या पनीर, जल से निर्मित किसी वस्तु से है और इसके अन्तर्गत दुग्ध चूर्ण, संघनित या वाष्पित दूध, क्रीम, पनीर, घी, खोया, दही, छेना, केसीन, आईसक्रीम या ऐसा कोई अन्य उत्पाद भी है, जो परिषद् द्वारा दुग्ध उत्पाद अधिसूचित किया जाय;

(ठ) “आरक्षित क्षेत्र” का तात्पर्य धारा 12 के अधीन दिये गये किसी आदेश में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है।

अध्याय – 2

परिषद् का गठन और कृत्य

3— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से, परिषद् का गठन उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् नामक एक परिषद् गठित करेगी, जो एक निगमित निकाय होगी, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति का अर्जन, धारण और निस्तारण करने की शक्ति रखेगी।

4— परिषद् में निम्नलिखित होंगे — परिषद् के सदस्य

(क) कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास का प्रभारी आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, जो परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) अध्यक्ष, प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जो परिषद् का पदेन उपाध्यक्ष होगा;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन;

(घ) यथास्थिति, विशेष सचिव या संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, पशुधन विभाग, पदेन;

(ङ) पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(च) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(छ) निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(ज) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(झ) दुग्ध उत्पादक संघों के चार प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

{उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम, 1976}

{धारा

5-8}

(ञ) उत्तर प्रदेश में, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दुग्धशालाओं के दो प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ट) उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे; और

(ठ) दुग्ध आयुक्त, पदेन, जो परिषद् का सदस्य-सचिव होगा।

5— गैर सरकारी सदस्यों की पदाविधि उनकी नियुक्ति की अधिसूचना, के दिनांक से गैर सरकारी सदस्यों की तीन वर्ष होगी। पदाविधि

6— (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का कृत्य सामान्यतया परिषद् के कृत्य राज्य में दूध उत्पादन और दुग्धशाला उद्योग की आयोजना, नियंत्रण, विकास और विनियमन करना होगा।

(2) विशेषतः और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाहियां करेगा, जिन्हें वह उचित समझे :-

(क) राज्य में दुग्धशाला उद्योग के विकास के लिये आयोजना और योजना की तैयारी;

(ख) दुग्ध उत्पाद के निर्माण और विक्रय के लिये दुग्धशालाओं के और दूध या विधायित दूध के विधाकारों और निर्माताओं को दूध के सम्भरण का विनियमन और व्यवस्था;

(ग) नई दुग्धशालायें स्थापित करने के लिये परियोजना तैयार करने में उद्यमकर्त्ताओं की सहायता और उसका अनुमोदन;

(घ) पशुधन के प्रजनन, उत्पादकों के लिये संतुलित पशु आहार और चारा की व्यवस्था और पशु रोग के नियंत्रण और उपचार से सम्बन्धित कार्यकलाप का सूत्रपात, पथ-प्रदर्शन और समन्वय ;

(ङ) दूध और दुग्ध उत्पाद के मूल्य का विनियमन ;

(च) परिषद् द्वारा अपने जिम्मे लिये गये कृत्य के निर्वहन के सम्बन्ध में निधि की प्राप्ति और व्यय; और

(छ) ऐसे अन्य उपाय करना, जो विहित किये जायें।

7— राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दुग्ध आयुक्त नियुक्त करेगी, नियुक्ति

दुग्ध आयुक्त की

जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त या आरोपित कर्त्तव्य का पालन और सभी शक्ति का प्रयोग करेगा।

8— (1) दुग्ध आयुक्त परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

परिषद् के कर्मचारी

(2) राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता से पालन करने के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझें और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जिन्हें वह उचित समझें, नियुक्त कर सकती है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का सामान्य नियंत्रण और निदेशन, परिषद् के अधीक्षण के अधीन रहते हुए दुग्ध आयुक्त में निहित होगा।

{उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम, 1976}

{धारा

9-11}

9— (1) उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास निधि नामक एक निधि स्थापित की जायेगी, जिसका प्रशासन और नियंत्रण परिषद् करेगी और जिसमें परिषद् की ओर से प्राप्त सभी धन जमा किया जायगा।

दुग्ध विकास निधि

(2) विशेषतः और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् को निम्नलिखित स्रोत से हुई आय को निधि में जमा किया जायगा :-

(क) धारा 16 के अधीन उपकर की आय में से सरकार द्वारा निधि में जमा की जाने वाली राशि ;

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्राप्त लाइसेंस फीस ; और

(ग) राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन या निकाय से प्राप्त अनुदान और वित्तीय सहायता।

10— (1) परिषद्, राज्य सरकार को ऐसे समय और ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, वाहय नियंत्रण

जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश देकर निदेशित करे, ऐसी विवरणी, आख्या और विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगी, जिसकी अपेक्षा राज्य सरकार समय-समय पर करे।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो मास के भीतर, राज्य सरकार को गत वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों, नीति और कार्यक्रम का ठीक और पूर्ण वृत्तान्त प्रस्तुत करेगी।

(3) परिषद् का लेखा स्थानीय निधि समझा जायगा और स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश उसकी लेखा परीक्षा करेगा।

(4) अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, परिषद् नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा पथ-प्रदर्शित होगी, जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायें।

(5) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन निदेश जारी कर सकती है तो राज्य सरकार का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्याय - 3

रजिस्ट्रीकरण, लाइसेंस, उपकर और निर्बन्धन

11— (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई व्यक्ति दुग्धशाला या दुग्ध विधा या

दुग्धशाला विधाकर्ता

यूनिट इस निमित्त लाइसेंस के बिना स्थापित नहीं करेगा, जिसमें परिषद् द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में, दूध या दुग्ध उत्पाद का उपयोग किया जाता है या उपयोग करने की अधिष्ठापित क्षमता है।

निर्माता को लाइसेंस

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से इस निमित्त नियुक्त दिनांक पर (जो दिनांक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् तीन मास के पूर्व नहीं होगा) या उसके पश्चात् कोई व्यक्ति इस निमित्त लाइसेंस के बिना कारबार दुग्धशाला का या विधाकार या निर्माता के रूप में नहीं करेगा, जो परिषद् द्वारा अधिसूचना से इस निमित्त विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में दूध या दुग्ध उत्पाद का उपयोग करता है या उपयोग करने की अधिष्ठापित क्षमता रखता है।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस प्राप्त किसी दुग्ध विधा यूनिट को इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने से इंकार नहीं किया जायगा, यदि वह विहित रीति से आवेदन-पत्र दे और विहित शर्तों का अनुपालन करे और ऐसी प्रतिभूति और ऐसी फीस दे, जो विहित की जाय।

{उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम, 1976}

{धारा 12-14}

स्पष्टीकरण - 1 - राज्य सरकार भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए या भिन्न-भिन्न श्रेणियों अर्थात् दुग्धशाला, विधाकार या निर्माता के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत कर सकती है।

स्पष्टीकरण - 2- स्पष्टीकरण 1 में उल्लिखित श्रेणियों या उसके या भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न दर या फीस नियत की जा सकती है।

12— (1) परिषद्, उचित मूल्य पर पर्याप्त दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

आरक्षित क्षेत्र

(2) जब कोई क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाय तब उस क्षेत्र की दुग्धशाला या दुग्धशालायें, यदि परिषद् द्वारा ऐसा निदेश दिया जाय, उस क्षेत्र के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सब दूध ऐसे मूल्य पर खरीदेगी, जिसे परिषद् सुसंगत तथ्यों को, जैसे पूर्ववर्ती वर्ष में उस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता और गुण और दूध के मूल्य को, ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करे।

13— किसी प्राधिकृत व्यक्ति या एजेन्सी से भिन्न कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में लाइसेंस परिवहनकर्ता को लाइसेंस प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किये बिना, किसी आरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी स्थान से ऐसे क्षेत्र के बाहर किसी स्थान में दूध या दुग्ध उत्पाद का संग्रह नहीं करेगा, उसे ले नहीं जायेगा और उसका परिवहन नहीं करेगा :

देना

परन्तु इस धारा की कोई बात 20 किलोग्राम से अनधिक घी या 20 लीटर से अनधिक दूध और 10 किलोग्राम से अनधिक किसी दुग्ध उत्पाद का परिवहन करने पर या उसे ले जाने पर लागू नहीं होगी।

14— (1) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस, विहित शर्तों के अधीन रहते हुए और लाइसेंस का प्रदान,

ऐसी प्रतिभूति देने और ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जो विहित की जाय, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से दिया जायगा या नवीकृत किया जायगा।

समपहरण और रोक

निलम्बन या निरसन प्रतिभूति का प्रतिकर के दावे पर

(2) यदि कोई लाइसेंसधारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का या लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, तो धारा 20 के अधीन दण्ड विषयक उसके दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लाइसेंस प्राधिकारी उसको स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है :

परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन लाइसेंस को रद्द करने का नोटिस देते समय लाइसेंस को निलम्बित कर सकता है।

(3) जहां कोई लाइसेंसधारी दूध या दुग्ध उत्पाद की शुद्धता या गुण के मानक से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो, वहां लाइसेंस प्राधिकारी दण्ड की प्रकृति और गुरुता और ऐसी परिस्थिति को, जिसमें अपराध किया गया था, ध्यान में रखते हुए, उसका लाइसेंस उपान्तरित या रद्द का सकता है।

(4) धारा 20 या उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि लाइसेंस प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि लाइसेंसधारी ने लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन किया है और यह कि उसकी प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण आवश्यक है, तो वह उसे स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा उसकी सम्पूर्ण या आंशिक प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण कर सकता है।

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन लाइसेंस को निलम्बित या रद्द या उपान्तरित करने के प्रत्येक आदेश या उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के आदेश की एक प्रति लाइसेंसधारी को प्रेषित की जायगी।

{उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम, 1976}

{धारा 15-18}

(6) उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन लाइसेंसधारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की संसूचना के दिनांक से साठ दिन के भीतर परिषद् के अध्यक्ष को विहित रीति से अपील कर सकता है।

(7) लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस के रद्द या निलम्बित किये जाने पर प्रतिकर का या लाइसेंस फीस की वापसी का हकदार नहीं होगा।

15— राज्य सरकार लोकहित में, और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये उत्पाद के

दूध और दुग्ध

नियमों में उपबन्धों के अधीन रहते हुए —

परिवहन और प्रतिषेध या

विक्रय और निर्यात का

(क) किसी विशिष्ट क्षेत्र में दूध के विक्रय या सम्भरण, या किसी दुग्ध उत्पाद के निर्माण, विक्रय या सम्भरण को;

विनियमन

(ख) राज्य के किसी एक क्षेत्र से राज्य के किसी अन्य क्षेत्र में दूध या दुग्ध उत्पाद के परिवहन को, या राज्य के बाहर किसी स्थान में उसके निर्यात को, अधिसूचना द्वारा विनियमित कर सकती है या उसके सम्बन्ध में मूल्य निर्धारित कर सकती है।

16— (1) राज्य सरकार, दूध या दुग्ध उत्पाद के विक्रय या क्रय या सड़क द्वारा उपकर

दूध के क्रय पर

लाने पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी दर या दरों पर जैसी विहित की जाय, यथास्थिति, दूध या दुग्ध उत्पाद के मूल्य के दस प्रतिशत से अनधिक कर आरोपित, उद्गृहीत और प्रभारित कर सकती है और ऐसा कर दुग्धशाला द्वारा या विधाकर्ता, निर्माता या राज्य के बाहर दूध या दुग्ध उत्पाद के परिवहनकर्ता द्वारा देय होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरोपित कोई कर केवल एक स्थल पर उद्गृहीत किया जायगा और ऐसी रीति से दिया जायगा, जैसी विहित की जाय।

(3) इस धारा के अधीन आरोपित कर “दूध उपकर” कहलाएगा।

(4) उपकर का संग्रह करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाण-पत्र अग्रसारित कर सकते हैं, जिसमें सम्बद्ध व्यक्ति से देय बकाये की राशि उल्लिखित की जायगी और कलेक्टर ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट राशि को वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो।

17— प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन किये जाने के पश्चात् राज्य सरकार उपकर के आगम की पूरी राशि को, जो धारा 16 के अधीन आरोपित किया जाय और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा वसूल किया जाय, संग्रह-व्यय की कटौती करने के पश्चात् राज्य की संचित निधि से और उनके बाहर निकालेगी और उसे उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास निधि में जमा करेगी और ऐसी राशि का उक्त निधि में जमा किया जाना राज्य की संचित निधि पर प्रभार होगा।

उपकर की आय दुग्ध विकास निधि में रखी जायेगी

अध्याय —4

शास्ति और प्रक्रिया

18— कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर, न कि उसके सिवाय करेगा, जो परिषद् या परिषद् द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पूर्व स्वीकृति से अपराध किये जाने के पश्चात् निकटतम छः मास के भीतर की जाय।

अपराध का संज्ञान

{उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम, 1976}
19-22}

{धारा

19— प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधिकारिता

न्यायालय की

अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

20— कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश का अनुपालन नहीं करता है। वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रथम अपराध के लिये दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अपराध जारी रहे, पांच सौ रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा।

षास्ति

21— (1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई अपराध

कम्पनियों द्वारा

कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध को करने के समय उस कम्पनी का प्रभारी और उसके कार्य-संचालन के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह दण्ड का भागी होगा मानों यह अपराध उसके द्वारा स्वयं किया गया था :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को किये जाने से रोकने का सभी सम्यक् प्रयास किया था।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है या उनकी किसी उपेक्षा करने के कारण हुआ है तो कम्पनी का ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी और वह दण्ड का भागी होगा।

स्पष्टीकरण: — इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

22— (1) दुग्ध आयुक्त या परिषद् द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष द्वारा प्राधिकृत उसका कोई अन्य अधिकारी या तो कार्यवाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन ऐसे निबन्धनों पर, जिसके अन्तर्गत शमन फीस का भुगतान किया जाना भी है, जिन्हें वह उचित समझें, कर सकता है :

अपराध का शमन

परन्तु किसी अपराध का, जिसके अन्तर्गत परिषद् द्वारा या उसकी ओर से जारी किये गये किसी आदेश का अनुपालन न किया जाना भी है, तब तक शमन नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे आदेश का यथाव्यवहार्य अनुपालन न किया गया हो।

(2) जहां किसी अपराध का शमन किया गया हो, वहां अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मुक्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

{उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम, 1976} {धारा 23-27}

अध्याय - 5

प्रकीर्ण

23— परिषद् की समस्त अनुज्ञा, आदेश, विनिश्चय और अन्य दस्तावेज मुख्य और कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

परिषद् के आदेश
दस्तावेज का

24— लाइसेंस प्राधिकारी या दुग्ध आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अपना यह निरीक्षण समाधान करने के लिये कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों का कोई उल्लंघन तो नहीं किया गया है न किया जा रहा है और न किये जाने की सम्भावना है, किसी दुग्धशाला या किसी विधाकर्ता या निर्माता के किसी उपक्रम के भू-गृहादि, उपस्कर या अभिलेख और दूध या दुग्ध उत्पाद का निरीक्षण या जांच कर सकता है या करा सकता है।

उपक्रम आदि का

25— कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किय गये कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों और का संरक्षण विनियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो।

सद्भावना से
कार्य

26— परिषद् का कोई कार्य उसकी सदस्यता में किसी रिवित या उसके गठन या अविधिमाम्य नही अधिष्ठान में किसी त्रुटि के कारण मात्र से अविधिमाम्य नहीं समझा जायगा।

कार्य, जो
होंगे

27— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित शक्ति करने के लिये नियम बना सकती है।

नियम बनाने की

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) परिषद् द्वारा कार्य संचालन;

(ख) दुग्ध आयुक्त के कर्तव्य, शक्ति और कृत्य;

(ग) परिषद् में आकस्मिक रिवितियों में सदस्यों की नियुक्ति;

(घ) वित्तीय विवरण—पत्र तैयार करना और प्रस्तुत करना;

(ङ) रीति, जिसके अनुसार और प्रपत्र जिसमें दुग्ध विकास निधि का प्रशासन

और उससे भुगतान किया जायेगा;

(च) लाइसेन्स देने की रीति और लाइसेन्स फीस की दर;

(छ) दूध उपकर की दर और उन्हें आरोपित और संग्रह करने की रीति;

(ज) परिषद् द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण—पत्र और

विवरणी और परिषद् या दुग्धशाला, निर्माता और विधाकर्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और अन्य प्रपत्र;

(झ) दुग्ध संघ, दुग्धशाला, विधाकर्ता या निर्माता के बीच विवाद का दुग्ध आयुक्त को निर्देश और इस सम्बन्ध में दुग्ध आयुक्त द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; और

(ञ) कोई अन्य विषय, जिसे परिषद् द्वारा विहित किया जाना हो और किया

जाय।

{उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम, 1976}

{धारा

28— (1) परिषद् राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, इस अधिनियम और इसके अधीन विनियम बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिये परिषद् विनियम बना सकती है:—

- (क) परिषद् या उसकी समितियों के कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया;
- (ख) परिषद् के कर्मचारियों के कृत्य और कर्तव्य ;
- (ग) परिषद् की समितियों का गठन, शक्ति, कर्तव्य और कृत्य; और
- (घ) कोई अन्य विषय, जिसके लिये विनियमों में व्यवस्था की जानी हो या की जाय।

THE UTTAR PRADESH MILK ACT, 1976¹

[U. P. ACT NO. 7 OF 1976]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 8, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 6, 1976.

Received the assent of the Governor on April 16, 1976, under Article 200 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary, dated April 17, 1976.]

AN ACT

to provide for the regulation and control of production, supply and distribution of milk and its conversion into milk products with a view to development of dairy industry in the State, and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows ;—

CHAPTER 1

Short title,
1976.
extent and
commencement
Pradesh.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Milk Act,

(2) It extends to the whole of Uttar

(3) It shall come into force on such date² as the State Government may by notification appoint in this behalf, and different dates may be appointed for different areas of Uttar Pradesh and for different provisions of this Act.

Definitions

2. In this Act—

(a) "authorized person" and "authorized agency" respectively, mean a person and "agency authorized by the Board by notification for any purpose under this Act ;

(b) Board" means the Uttar Pradesh Rajya Dugdh Parshad, constituted by the State Government by notification under section 3;

(c) "dairy" means any premises where machinery is used for cooling, heating or any other treatment of milk or for converting milk into milk products or packaging of milk or milk products ;

(d) "Fund" means the Uttar Pradesh Milk Development Fund created under section 9;

(e) "licence" means a licence issued by the Licensing Authority under this Act;

2. Under notification no. 1494-C (3) xII-C B-8-73, dated May 11, 1976. The Governor is hereby appoint; May 11, 1976 as a date on which al: the sections except 11,12, 13,14, 16 and 17 of the said Act wall come into force,

3. Under notification no. 646 xII-E-4-8-73, dated August 10, 1976, Governor hereby appoint August 15, 1976 as a date on which actions 11, 12, 13, 14:, 16, and 17 or the said Act shall Come into force.

[The Uttar Pradesh Milk Act, 1976]
4]

[Section 3-

(f) "Licensing Authority" means an officer authorized by the Milk Commissioner in this behalf;

(g) "manufacturer" means a person or establishment engaged in the manufacture of milk products or in the preparation of items containing milk solids ;

(h) "processor" means a person or establishment engaged in the collection or treatment of liquid milk, such as chilling, heating or any other treatment for augmenting the marketable life of milk ;

(i) "milk" means lacteal secretion from cow Or buffalo;

(j) "Milk Commissioner" means the Milk Commissioner appointed under section 7 ;

(k) "milk, product" means any commodity manufactured from milk, separated milk, butter milk or whey, and includes powders, condensed or evaporated milk, Creem, cheese, ghee, khoa, dahi, chhena, casein, ice-cream or any other product as may be notified by the Board to be milk products

(l) "reserved area" means the area specified in an order made under section 12.

CHAPTER II

CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF THE BOARD

Constitution of the Board 3. The State Government shall, by notification and with effect from a date to be specified therein, constitute a Board to be known as the Uttar Pradesh Rajya Dugdh Parishad which shall be a body corporate with power, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, to acquire, hold and dispose of property.

Member of the Board 4. The Board shall consist of the following :

incharge of (a) Commissioner and the Secretary to the State Government, Agriculture Production and Rural Development, who shall be the Chairman of the Board, ex-officio;

(b) The Chairman, Pradeshik Co-operative Dairy Federation Ltd., ex- officio, who shall be the Vice-Chairman of the Board, ex -officio;

(c) the Secretary to the State Government, Finance Department, Uttar Pradesh, ex -officio ;

(d) Special Secretary or Joint Secretary, as the case may be, to the State Government in the Pashudhan Department Uttar Pradesh, ex officio;

(e) the Director of Animal Husbandry, Uttar Pradesh, ex officio ;

(f) the Director of Agriculture, Uttar Pradesh, ex officio;

(g) the Registrar, Co-operative Societies, Uttar Pradesh, ex officio ;

(h) the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh, ex officio;

(i) four representatives of milk producers, unions, to be nominated by the State Government ;

[The Uttar Pradesh Milk Act, 1976]
8]

[Section 5-

(j) two representatives of dairies registered under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, in Uttar Pradesh, to be nominated by the State Government ;

(k) two persons representing the consumers' interests, to be nominated by the State Government ; and

(l) the Milk Commissioner, ex-officio, who shall be the Member-Secretary of the Board.

Term or non-
official
members

5. The term of office of non-official members shall be three years from the date of notification of their appointment.

Functions of
Board

6. (1) Subject to the provisions of this Act, the functions of the Board shall the generally be to plan, control, develop and regulate milk production and dairy industry in the State.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Board may take such steps as it may think fit --

(a) to prepare plans and schemes for the development of dairy industry in the State;

(b) to regulate and provide for the supply of milk to dairies and processors and manufacturers of milk or processed milk, for manufacture and sale of milk products;

(c) to assist entrepreneurs in preparing projects for setting up new dairies and to accord approval for the same ;

(d) to initiate, guide and co-ordinate activities concerning breeding of livestock, provision of balanced cattle feed and fodder to producers and control and treatment of cattle diseases ;

(e) to regulate the price of milk and milk products ;

(f) to secure funds for and to incur expenditure in connexion with the discharge of functions undertaken by the board; and

(g) to take such other measures as may be prescribed.

Appointment

7. The State Government shall for purposes of this Act appoint a Milk of Milk Commissioner who shall perform the duties and exercise all powers Commissioner conferred or imposed upon him by or under this Act.

Employees of
the Board

8. (1) The Milk Commissioner shall be the Chief Executive Officer of the Board.

Board

(2) Subject to any general or special orders of the State Government the may, appoint such officers and employees as it considers necessary for the efficient performance of its functions under this Act and on such terms and conditions as it thinks fit.

- (3) Subject to the superintendence of the Board, the general control and direction over all the officers and employees referred to in sub-section (2) shall be vested in the Milk Commissioner.

[The Uttar Pradesh Milk Act, 1976]
11]

[Section 9-

Milk
Development
Board Fund

9. (1) There shall be established a fund to be called the Uttar Pradesh Milk Development Fund, which shall be administered and controlled by the and to which all moneys received en behalf of the Board shall be credited.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the income of the Board from the following sources, shall be credited to the fund:-
- (a) amount to be credited to the fund by Government out of the proceeds of cess to be imposed under section 16 ;
 - (b) licensing fees received under the provisions of this Act ;
 - (c) grants and subventions received from the State or Central Government or from any other organization or body.

External
such Control
such returns, reports and statements as the State Government may

10. (1) The Board shall furnish to the State Government, at such times and in form and manner as the State Government may by general or special order direct, such returns, reports and statements as the State Government may from time to time require.
- (2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Board shall, within two months after the end of each financial year, submit to the State Government giving a true and full account of its activities, policies and programmes during the previous financial year.
- (3) The accounts of the Board shall be deemed to be a local fund and be audited by the Examiner, Local Fund Accounts, Uttar Pradesh.
- (4) In the discharge of its functions, the Board shall be guided by such directions on questions of policy all may be given to it by the State Government.
- (5) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the State Government may issue a direction under sub-section (4), the decision of the State Government shall be final.

CHAPTER III

REGISTRATION, LICENCE, CESS AND RESTRICTIONS

Licensing of
Dairy
Processor or
manufacturer

11. (1) No person shall after the commencement of this Act set up a dairy or milk processing unit handling or having installed capacity for handling milk or milk products in quantities exceeding the limit specified by the Board in this behalf except under a licence in that behalf.
- (2) No person shall on or after the date to be appointed in this behalf by the State Government by notification (such date being not earlier than three months after the commencement of this Act), carry on business of dairy or as processor or manufacturer, handling or having installed capacity for handling milk or milk products in quantities exceeding the limits specified by the Board by notification in this behalf, except under a licence in that behalf.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), a milk processing unit licensed under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 shall not be refused licence under this Act, if it

makes an application in the prescribed manner and complies with the prescribed conditions and furnishes such security and pays such fee as may be prescribed.

[The Uttar Pradesh Milk Act, 1976]
12-14]

[Section

Explanation I-- Different dates may be appointed by the State Government in such notification for different areas or for different categories, namely, dairies, processors or manufacturers.

Explanation II-- Different rates or fees may be prescribed for the categories mentioned in Explanation I or for different classes thereof.

Reserved Area 12. (1) The Board may, by notification, declare an area to be a reserved area to ensure the availability of sufficient milk at fair prices.

(2) When an area has been declared a reserved area, the dairy or dairies in such area shall, if so directed by the Board, purchase all the milk offered by the producers in the area at such price as may be notified by the Board having regard to relevant factors such as availability and quality of milk and price of milk in that area during the preceding year.

Licensing of 13. No person other than an authorised person or agency shall collect, carry or
Transporter transport milk or milk products from any place within a reserved area to any place outside such area without obtaining licence in this regard from the licensing authority :

Provided that nothing in this section shall apply to transport or carriage of ghee, or milk any milk product in quantities not exceeding prescribed limits by any person for personal consumption.

Grant of 14. (1) A licence under the provision of this Act shall be granted or renewed by
the licence licensing authority in the prescribed manner, subject to prescribed conditions
Suspension or and on furnishing of such security and payment of such fees as may be Cancellation
prescribed.

Forfeiture of (2) If any licensee contravenes any of the provisions of this Act or the rules
security and thereunder or any condition of the licence, then without prejudice to his for
made ban on claim liability for punishment under section 20, the licensing authority may, after
compensation giving him an opportunity of explanation, cancel his licence :

Provided that the licensing authority may, while issuing notice for cancellation of licence under this sub-section, suspend the licence.

- (3) Where any licensee has been convicted of an offence under any law relating to purity or quality standards of milk or milk products for the time being in force, the licensing authority may, having regard to the nature and gravity of the offence and the circumstances, in which it was committed, modify or cancel his licence.
- (4) Without prejudice to the provisions of section 20 or of sub- section (1), if the licensing authority is satisfied that a licensee has contravened any of the conditions of the licence and that a forfeiture of his security deposit is called for, it may, after giving him an opportunity of explanation, by order forfeit the whole or part of his security deposit.
- (5) A copy of every order suspending or cancelling or modifying the licence under sub-section (2) or sub-section (3) or an order forfeiting security deposit under sub-section (4) shall be communicated to the licensee.

[The Uttar Pradesh Milk Act, 1976]
15-18]

[Section

(6) Any person aggrieved by an order of the licensing authority under sub-section (2), sub-section (3) or sub-section (4) may, within sixty days of the communication of the order to him, appeal to the Chairman of the Board in the prescribed manner.

(7) The licensee shall not be entitled to compensation or refund of licence fee on cancellation or suspension of this licence.

Prohibition or 15. The State Government may, in the public interest and subject to the provisions regulation of of this Act and the rules made thereunder, by notification regulate or fix prices sale and in respect of --
transport and
export (a) the sale or supply of milk, or the manufacture, sale or supply of any of milk and milk product in a particular area; and
milk products (b) the transport of milk or any milk product from one area in the

State to another area in the State or its export to any place outside the State.

Cess on 16. (1) The State Government may by notification impose, levy and charge tax on the purchase of sale or purchase or of carriage by road of milk or milk products in such milk manner and at such rate or rates as may be prescribed not exceeding 10 per cent of the price of the milk or milk products, as the case may be, and such tax shall be payable by the dairy or by a processor, manufacturer or transporter of milk or milk product outside the State.

(2) Any tax imposed under sub-section (1) shall be levied at only one point and in such manner as may be prescribed.

(3) A tax imposed under this section shall be called "Milk Cess".

(4) The authority empowered to collect the cess may forward to the Collector, a certificate under his signature specifying the amount of arrears due from the person concerned, and the Collector, on receipt of such certificate, shall proceed to recover from such person the amount specified therein as if it were an arrear of land revenue.

Proceeds of 17. At the beginning of each financial year, after due appropriation has been cess to go to made by law, the State Government shall withdraw from and out of the Milk Consolidated Fund of the State the full amount of the proceeds of the cess

Development, imposed under section 16, and recovered by it during the preceding financial Fund year after deduction of collection charges, and place it to the credit of the Uttar Pradesh Milk Development Fund, and the crediting of such monies to the said Fund shall be a charge on the Consolidated Fund of the State.

CHAPTER IV

PENALTIES AND PROCEDURE

Cognizance of 18. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act offence except on the report of a police officer with the previous sanction of the Board or any person authorized by the Board for the purpose, made within six months next after the commission of the offence.

[The Uttar Pradesh Milk Act, 1976]
19-22]

[Section

Jurisdiction of 19. No court inferior to that of a magistrate of the first class shall try an offence Court punishable under this Act.

Penalty 20. Whoever contravenes any of the provisions of this Act or of any rule or regulation made thereunder or fails to comply with any order issued under this Act or the rules or regulations made thereunder shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such offence continues, after conviction for the first commission of offence.

Offence by companies 21. (1) If the person committing an offence under this Act is a company the company as well as every person incharge of, and responsible to, the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence, shall be liable to be proceeded against and punished as if this offence was committed by himself :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or, that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be liable to be proceeded against and punished for the offence.

Explanation-- For the purposes of this section --

(a) 'Company' means any body corporate and includes a firm or association of individuals, and

(b) 'Director' in relation to a firm, means a partner in the firm.

Composition by of offence 22. (1) The Milk Commissioner or any other officer of the Board authorized by it general or special order in that behalf may, either before or after the institution of the proceedings, compound an offence punishable under this Act on such terms, including payment of composition fee, as he may think fit;

Provided that no offence consisting of a failure to comply with an order issued by or on behalf of the Board shall be compounded until such order has, so far as practicable, been complied with.

(2) Where an offence has been compounded, the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of the offence so compounded.

[The Uttar Pradesh Milk Act, 1976]

CHAPTER V MISCELLANEOUS

Authentication of orders and documents or the Board 23. All permissions, orders, decisions and other documents of the Board shall be authenticated by the signature of the Chief Executive Officer or any officer author used by the Board in this behalf.

Inspection of under taking, etc 24. The licensing authority or any person authorized by the Milk Commissioner may inspect or examine or cause to be inspected or examined any premises, equipment or record and milk or milk products of any dairy, or any undertaking of a processor or manufacturer to satisfy itself or himself that no contravention of this Act or rules or regulations made thereunder has been, is being, or is likely to be committed.

Protection for acts done in faith	25. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or good the rules and regulations made thereunder.
Acts not to be	26. No act of the Board shall be deemed to be invalid only because of any invalid vacancy in its membership or any defect in its constitution or establishment.
Power to make rules	27. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters; namely -- (a) the conduct of business by the Board ; (b) the duties, powers and functions of the Milk Commissioner ; (c) the appointment of members in casual vacancies in the Board ; (d) the preparation and submission of financial statements ; (e) the manner and form in which the Uttar Pradesh Dairy Development Fund shall be administered and payments from such fund; (f) the manner of licensing and rates of licensing fees ; (g) the rates of milk cess and the manner of its imposition and collection; (h) the statements and returns to be submitted by the Board to the State Government and the registers and other forms to be maintained by it or by dairies, manufacturers and processors; (i) the reference to the Milk Commissioner of the disputes between a Milk Union, dairy, processor or manufacturer and the procedure to be followed by the Milk Commissioner in this regard ; and (j) any other matter which has to be and may be prescribed by the Board.

[The Uttar Pradesh Milk Act, 1976]
28]

[Section

Regulation make	28. (1) The Board may, with the previous sanction of the State Government, regulations consistent with this Act and the rules made thereunder. (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Board may make regulations providing for - (a) the procedure in regard to the transaction of business of the Board or its committees ; (b) the functions and duties of the employees of the Board; (c) the constitution, powers, duties and functions of Committees of the Board ; and (d) any other matter for which provision is to be or may be made in the regulations.
-----------------	--